भारत सरकार
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं0 694
21 नवंबर, 2019 को उत्तर के लिए

fnYyh vkSj esjB bR;kfn ds chp esVªks jsy

694- **Jh eywd ukxj%**

D;k **vkoklu vkSj 'kgjh dk;Z** ea=h ;g crkus dh d`ik djsaxs fd%

¼d½ D;k fnYyh ls esjB] eqt¶Qjuxj vkSj gfLrukiqj tks fd ,d ,sfrgkfld LFkku gS ds chp esVªks jsy 'kq: djus dh dksbZ ;kstuk gS(vkSj

¼[k½ ;fn gka] rks bls dc rd dk;kZfUor fd, tkus dh laHkkouk gS\

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री हरदीप सिंह पुरी)

(क) और (ख): शहरी परिवहन, जोकि राज्य का विषय है, शहरी विकास का अभिन्न अंग है । शहरी परिवहन प्रणाली का नियोजन और विकास, जिसमें मेट्रो रेल भी शामिल है, संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किया जाता है । भारत सरकार, संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा यथासमय सूचित किए जाने पर परियोजना की व्यवहार्यता और संसाधनों की उपलब्धता के अधीन वर्तमान नीति के अनुसार इन परियोजनाओं को वित्तीय सहायता देने पर विचार करती है । भारत सरकार ने मार्च, 2019 में गाज़ियाबाद से होकर दिल्ली और मेरठ के बीच 82.15 कि.मी. रेल आधारित क्षेत्रीय द्रुत परिवहन प्रणाली (आरआरटीएस) को अनुमोदित किया है, जिसे छह वर्षों में पूर्ण किया जाना है ।

****